



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-681

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 313467 दिनांक 09/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Dinesh Gupta S/o c/o,Dinesh Gupta एवं Anita Gupta W/o RAJESH GUPTA	विजय सिंह मीणा पुत्र श्रीफल मीणा	94	270.00 SQ. METER	JDA	CENTRAL SPINE Sector/Block- D	Name Transfer	जविप्रा की योजना सेन्ट्रल स्पाइन के भूखण्ड संख्या डी-94 क्षेत्रफल 270.00 व.मी. की लीजडीड दिनांक 06.01.2007 को विजय सिंह मीणा पुत्र श्रीफल मीणा के नाम से जारी किया गया है। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 26.06.2008 को विजय सिंह मीणा पुत्र श्रीफल मीणा द्वारा भरपाई देवी मीना पत्नी रामदयाल कर दिया गया। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 29.10.2009 को भरपाई देवी मीना पत्नी रामदयाल मीना द्वारा दिनेश गुप्ता पुत्र रामबाबू गुप्ता एवं अनिता गुप्ता पत्नी राजेश गुप्ता को कर दिया गया। आवेदकगण द्वारा नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है। अतः पत्रावली वाद-विवाद/स्थगन की रिपोर्ट हेतु सहायक अधिवक्ता को भिजवायी जानी प्रस्तावित है।
---	---	--	----	---------------------	-----	--	------------------	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Dinesh Gupta S/o c/o, Dinesh Gupta एवं Anita Gupta W/o RAJESH GUPTA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।